<u>समक्ष एमएम कुमार ज.</u>

न. 14541787 पूर्व. हव. जयपाल – याचिककर्ता

बनाम

संघ भारत – उत्तरदाता

2002 का सीडब्ल्यूपी नंबर 10515
2 मार्च, 2005

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 226- सेना नियम, 1954- नियम 13(3), 14- पेंशन विनियम, 1961 (संशोधित)- पैरा 173- हताहत पेंशन पुरस्कारों के लिए पात्रता नियम, 1982- लगभग 18 साल की सेवा प्रदान करने के बाद याचिकाकर्ता को सेना सेवा से बाहर करना - विकलांगता पेंशन के लिए दावा- पैरा 173 की आवश्यकता है विकलांगता पेंशन के हकदार होने के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी बीमारी के कारण अमान्य हो जाता है जो सैन्य सेवा के कारण हुई है या बढ़ गई है - याचिकाकर्ता को 'सामान्यीकृत दौरे' से पीड़ित पाया जाता है - भर्ती मेडिकल बोर्ड द्वारा न तो कोई बीमारी पाई गई और न ही कोई प्रविष्टि पाई गई रिकॉर्ड है कि सेवा में शामिल होने के समय याचिकाकर्ता किसी संवैधानिक बीमारी से पीड़ित था - 1982 के नियमों से जुड़े अनुबंध 111 का उपशीर्षक 'जे' उन बीमारियों को संदर्भित करता है जो सामान्य रूप से सेवा से प्रभावित होती हैं - उप 'जे' द्वारा कवर की गई प्रविष्टि रोग 'सामान्यीकृत दौरे' में से किसी से संबंधित

नहीं है - उत्तरदाता यह साबित करने में विफल रहे कि सामान्यीकृत बीमारी एक संवैधानिक बीमारी है - याचिकाकर्ता को विकलांगता पेंशन का हकदार माना जाता है - लागत के साथ याचिका स्वीकार की गई।

निर्धारित किया कि याचिकाकर्ता को सामान्यीकृत दौरे से पीड़ित पाया गया है। जब याचिकाकर्ता 1981 में सैन्य सेवा में शामिल हुआ तो रिक्रूटमेंट मेडिकल बोर्ड द्वारा ऐसी कोई बीमारी नहीं पाई गई थी। कोर्ट के बार-बार पूछने पर रिक्रूटमेंट मेडिकल बोर्ड द्वारा 1981 में ऐसी प्रविष्टि करने का कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाया गया है। कोई ऐसी सूची प्रस्तुत नहीं की गई है जो यह दिखाता है कि बीमारी 'सामान्यीकृत दौरा 345' उप-शीर्ष 'जे' के अंतर्गत आने वाली किसी भी प्रविष्टि से संबंधित है जो बीमारियों का वर्गीकरण देती है और इसमें वे बीमारियाँ भी शामिल हैं जो सामान्य रूप से सेवा से प्रभावित नहीं होती हैं। अभिव्यक्ति के शब्दकोषीय अर्थ के अनुसार 'सामान्यीकृत दौरा' एपोप्लेक्सी का अचानक हमला है जो एक सिंड्रोम है जो महसूस करने और हिलने-डुलने में असमर्थता प्रकट करता है और दिमाग की नसों में रुकावट या टूटने के कारण हो सकता है।

यह स्वीकार करना आसान नहीं है कि सैन्य सेवा के तनाव और तनाव के दौरान ऐसी बीमारी नहीं हो सकती। इसके अलावा इस दावे के जवाब में एक बहुत ही आकर्षक स्पष्टीकरण दिया गया है कि जब याचिकाकर्ता सेवा में आया था तो वह किसी भी बीमारी

से पीड़ित नहीं था और भर्ती मेडिकल बोर्ड द्वारा उसकी कठोर चिकित्सा जांच की गई थी। ऐसा दावा किया जाता है कि उस समय इस प्रकार की संवैधानिक बीमारी का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि भर्ती कार्यालय में कोई विस्तृत चिकित्सा उपकरण उपलब्ध नहीं था। सबसे पहले, इस तरह के स्पष्टीकरण को पेंशन के दावे के लिए कानूनी बचाव के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि उन सभी मामलों में जहां रिकॉर्ड मौन है, वहां इस तरह के बचाव पर जोर दिया जा सकता है और वैध दावे को हराया जा सकता है। किसी भी मामले में, पात्रता नियमों के नियम 9 के आधार पर, यह साबित करने का दायित्व उत्तरदाताओं पर है कि सामान्यीकृत दौरा एक संवैधानिक बीमारी है, जिसे साबित करने में वे बुरी तरह विफल रहे हैं।

(पैरा 11)

ब्रिगेडियर राजिंदर कुमार, याचिकाकर्ता के वकील

प्रतिवादी की ओर से अनिल शर्मा, अधिवक्ता।

निर्णय

एमएम कुमार, ज.

(1) यह याचिका पूर्व हवलदार जयपाल द्वारा यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है जो प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा (पेंशन), इलाहाबाद (के लिए) द्वारा पारित 4 अक्टूबर, 2000 के आदेश को बरकरार रखते हुए प्रथम अपीलीय

समिति द्वारा पारित 8 मई, 2002 (अनुलग्नक पी.3) के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की है। संक्षिप्तता, 'सीडीए')। सीडीए ने विकलांगता पेंशन देने के याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि विकलांगता को अमान्य करना, अर्थात् सामान्यीकृत दौरा न तो सैन्य सेवा के वजह से हुई थी और न ही इसे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार थी। आगे यह देखा गया कि बीमारी 'सामान्यीकृत दौरा' जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को अमान्य कर दिया गया, प्रकृति में संवैधानिक थी और इसका सेवा से कोई लेना-देना नहीं था। विकलांगता पेंशन जारी करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश जारी करने के लिए भी प्रार्थना की गई है क्योंकि उन्हें . पेंशन विनियम, 1961 (संशोधित) के पैरा 173 के संदर्भ में 20% की सीमा तक विकलांग होने का आकलन किया गया है (संक्षिप्तता के लिए, 'पेंशन नियम')।

(2) पहले उन संक्षिप्त तथ्यों पर ध्यान दिया जाए जो इस याचिका में उठाए गए विवाद पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक हैं। याचिकाकर्ता 17 मार्च, 1981 को सेना में शामिल हुआ। कठोर प्रशिक्षण के बाद उसी वर्ष उसे प्रमाणित किया गया। उनके नामांकन के समय उन्हें मेडिकल बोर्ड के समक्ष रखा गया था और उन्हें एवाईई एक श्रेणी में पाया गया था जिसका मतलब था कि कोई बीमारी नहीं थी और वे चिकित्सकीय रूप से फिट थे। उन्होंने 18 साल, 9 महीने और 15 दिन तक सेना में सेवा की। उन्हें नौ साल लंबी सेवा पदक, एसएसएम, ग्रेच्युटी के साथ लंबी सेवा पदक और

50वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पदक जैसे विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया है। उनका दावा है कि उन्होंने देश के सभी प्रकार के ऊंचाई वाले और दुर्गम इलाकों में सेवा की है। उनकी सेवा के दौरान हर साल उनकी चिकित्सा जांच की जाती रही है। किसी भी स्तर पर उन्हें ऐसी किसी बीमारी से पीड़ित नहीं पाया गया जो याचिकाकर्ता द्वारा सेना में शामिल होने से पहले की बीमारी से संबंधित हो। यह दावा किया गया है कि याचिकाकर्ता दुर्गम क्षेत्रों के साथ-साथ उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेवा की कठोरता के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से तनाव में रहा, जो स्पष्ट रूप से सेवा के तनाव कारण था। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसे जून, 1996 में शारीरिक विकलांगता का सामना करना पड़ा था, जिसे चिकित्सा अधिकारियों द्वारा साइको न्यूरोसिस के रूप में निदान किया गया था और विकलांगता को 'सामान्यीकृत दौरा' नाम दिया गया था। 31 दिसंबर, 1999 को, मेडिकल बोर्ड द्वारा व्यक्त की गई राय पर उन्हें सेवा से बाहर कर दिया गया, जिसने 20% पर अमान्यता/विकलांगता का आकलन किया था। याचिकाकर्ता ने विनियमों के पैरा 173 पर भरोसा करते हुए विकलांगता पेंशन का दावा किया, लेकिन 4 अक्टूबर, 2000 के आक्षेपित आदेश द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया। आक्षेपित आदेश का ऑपरेटिव भाग इस प्रकार है :—

"विकलांगता पेंशन दावे की अस्वीकृति

1. रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) इलाहाबाद ने निर्णय लिया है कि आपकी अमान्यता विकलांगता अर्थात सामान्यीकृत दौरा है जो:

(ए) न सैन्य सेवा जिम्मेदार है।

(ऐ) न ही सैन्य सेवा से उत्तेजित।

(ऑ) प्रकृति में संवैधानिक और सेवा से संबंधित नहीं।

2. आईडी अस्वीकृत.

3. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, नियमों के अनुसार आपको विकलांगता पेंशन स्वीकार्य नहीं है।"

(3) 'सीएडी' द्वारा अपने दावे को खारिज करने के बाद, याचिकाकर्ता ने अपील का लाभ उठाया जिसे 8 मई, 2002 को खारिज कर दिया गया (अनुलग्नक पी.3)। व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

(4) नोटिस के जवाब में, जवाब दावा किया गया है और जवाब में यह रुख अपनाया गया है कि रिलीज मेडिकल बोर्ड द्वारा व्यक्त की गई राय के आधार पर, जिसे उसकी शारीरिक जांच के बाद दर्ज किया गया है, याचिकाकर्ता को सेवा से बाहर कर दिया गया है। मेडिकल बोर्ड ने स्वयं विकलांगता को सामान्यीकृत दौरा 345 के रूप में माना है और याचिकाकर्ता को सेना नियम, 1954 के नियम 13 (3) से जुड़ी तालिका के आइटम III (v)

के तहत ट्रैड श्रेणी द्वारा कवर किया गया है। यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यह संवैधानिक रोग होने के कारण न तो सैन्य सेवा इसके लिए जिम्मेदार है और न ही इसके बढ़ने के कारण है। पैरा 2 और 3 में याचिकाकर्ता के इस दावे को पूरा करने के लिए एक दिलचस्प रुख अपनाया गया है कि जब भर्ती के समय उसका मेडिकल परीक्षण किया गया तो वह किसी बीमारी से पीड़ित नहीं था। यह निम्नानुसार दावा किया गया है:—

> .....याचिकाकर्ता ने भर्ती के समय भर्ती चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई प्राथमिक चिकित्सा जांच में शामिल हुआ था, लेकिन, उस समय संवैधानिक बीमारी का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि भर्ती कार्यालय में संवैधानिक बीमारी का पता लगाने के लिए कोई विस्तृत चिकित्सा उपकरण उपलब्ध नहीं था। इसलिए, जब याचिकाकर्ता को सेना में भर्ती किया गया तो वह शारीरिक/चिकित्सकीय रूप से फिट पाया गया....."

(5) आगे यह दावा किया गया है कि विकलांगता पेंशन का भुगतान केवल तभी किया जाना चाहिए जब दो शर्तें पूरी होती हों, यानि बीमारी सेवा के दौरान उत्पन्न हुई हो और सैन्य सेवा की स्तिथियों ने बीमारी का एक समूह बनाया हो या उसे बढ़ाया हो । मेडिकल बोर्ड ने राय दी है कि याचिकाकर्ता की बीमारी न तो सैन्य सेवा में कर्तव्यों के कारण है और न ही बढ़ी है और यह संवैधानिक रूप से सैन्य सेवा से असंबंधित बीमारी है, इसलिए, याचिकाकर्ता किसी भी विकलांगता पेंशन का हकदार नहीं है। आगे

यह भी दावा किया गया है कि सैन्य सेवा की अक्षमता के बीच संबंध भी स्थापित नहीं किया गया है जिसे चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

---

(6) श्री रफिंदर कुमार (ब्रिगेडियर) ने तर्क दिया है कि विनियमों के पैरा 173 के तहत किसी व्यक्ति को विकलांगता पेंशन का हकदार मानने से पहले केवल दो शर्तों को पूरा करना आवश्यक है, अर्थात् उसे सेवा से इसीलिए बाहर कर दिया गया था कि गैर-युद्ध हताहतों में सैन्य सेवा क□ कारण वह विकलांग हुआ या उसकी विकलांगता बढ़ने के कारण बनी और उसे 20 प्रतिशत या उससे अधिक की सीमा तक विकलांगता का आकलन किया जाता है। इसके बाद उन्होंने सैन्य सेवा के कारण होने वाली या बढ़ने वाली विकलांगता का पता लगाने के लिए परिशिष्ट II का उल्लेख किया है। परिशिष्ट III के परिशिष्ट II में उपशीर्षक 'बी' के अंतर्गत तनाव और तनाव से प्रभावित रोग मनोविकृति और साइकोन्यूरोसिस है। विद्वान वकील के अनुसार यह आवश्यक नहीं है एक वंशानुगत बीमारी जो संवैधानिक बीमारी की श्रेणी में आए। विद्वान वकील ने बहस के दौरान पैरा 5 पर भरोसा किया है, जब तक कि नामांकन के समय संवैधानिक बीमारी के साथ कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है, यह माना जाता है कि सेवा में प्रवेश के समय व्यक्ति स्वस्थ और मानसिक शारीरिक स्थिति में

था। माना जाता है कि ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं है और इसलिए यह माना जाना चाहिए कि यह बीमारी सैन्य सेवा के कारण हुई है या बढ़ी है। विद्वान वकील ने यह तर्क देने के लिए पैरा 9 का संदर्भ भी दिया है कि किसी भी प्रविष्टि के अभाव में किसी भी उचित संदेह का लाभ किसी व्यक्ति को सेवा मामलों में और भी अधिक उदारतापूर्वक दिया जाना चाहिए। विद्वान वकील ने यह तर्क देने के लिए नियम 14 का भी संदर्भ दिया है कि यदि किसी व्यक्ति को चिकित्सा विकलांगता के कारण छुट्टी दे दी गई है तो ऐसी विकलांगता को सेवा में उत्पन्न माना जाएगा यदि इस तरह के प्रवेश के समय इसका कोई नोट नहीं बनाया गया था। यदि चिकित्सीय राय यह मानती है कि, कारणों को बताते हुए, अगर यह माना जाता है कि सेवा स्वीकार करने से पहले चिकित्सीय जांच में रोग का पता लगाया जा सकता था, तो यह नहीं माना जाएगा कि रोग सेवा के दौरान उत्पन्न हुआ है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा ऐसी कोई राय व्यक्त नहीं की गई है। विद्वान वकील ने पूर्व मामलों में इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर भरोसा रखा है। एक्स. सेप. **रणजीत सिंह बनाम भारत संघ और अन्य (1)**, **नरेश चंद बनाम भारत संघ (2)**, **शुकदेव बनाम भारत संघ (3)** और **श्रीपाल सिंह बनाम भारत संघ (4)** और तर्क दिया कि यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि विकलांगता बीमारी से पीड़ित याचिकाकर्ता को सामान्यीकृत दौरे का सामना करना पड़ा, जो सैन्य सेवा के कारण या उसके बढ़ने के कारण नहीं था।

(1) 2000 (4) एससीटी 796

(2) 2001 (2) एससीटी 618

(3)2001 (1) एससीटी 19

(4) 2002 (3) एस.सी.टी. 807

(7) प्रतिवादी के विद्वान वकील श्री अनिल शर्मा ने कहा है कि आमतौर पर अदालतों को मेडिकल बोर्ड द्वारा व्यक्त की गई राय का सम्मान करना चाहिए और एक बार जब यह कानून में स्थित है तो वर्तमान मामले में व्यक्त की गई राय की अवहेलना करने के लिए कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है। इसके विपरीत मेडिकल बोर्ड यह निष्कर्ष निकालेगा कि याचिकाकर्ता को जो बीमारी हुई है वह सैन्य सेवा के कारण हुई है या बढ़ी है। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने पूर्व मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया है - **एक्स. सैपर मोहिंदर सिंह बनाम भारत संघ** (सिविल अपील संख्या 104/1991 का निर्णय 14 जनवरी, 1993 को हुआ). विद्वान वकील ने तब तर्क दिया कि अस्थमा और मिर्गी जैसी बीमारियाँ हैं जिन पर किसी व्यक्ति के सेवा में प्रवेश के समय सैन्य अधिकारियों का ध्यान नहीं जाता है। इसलिए, इस तरह की बीमारियाँ संवैधानिक बीमारी के अंतर्गत आएंगी और

याचिकाकर्ता विकलांगता पेंशन का दावा करने का हकदार नहीं होगा। अपने प्रस्तुतीकरण के समर्थन में, विद्वान वकील ने पूर्व मामले में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच द्वारा की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया है- **जासूस बलबीर सिंह बनाम भारत संघ और अन्य** (सीडब्ल्यूपी संख्या 7760, 2004 का फैसला 18 मई, 2004 को हुआ)।

(8) पक्षों के विद्वान वकीलों को काफी विस्तार से सुनने के बाद, मेरी राय है कि पेंशन विनियमों के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों का विस्तृत संदर्भ आवश्यक होगा । इस संबंध में पेंशन विनियमों के पैरा 173 और हताहत पेंशन पुरस्कारों के लिए पात्रता नियमों के नियम 3, 4, 5, 8, 9, 14, 15, और 16 (संक्षिप्तता के लिए, 'पात्रता नियम)' प्रासंगिक होंगे जो निम्नानुसार पढ़ें .—

पेंशन विनियमों का अनुच्छेद 173

"173. जब तक विशेष रूप से अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, सेवा तत्व और विकलांगता तत्व से युक्त विकलांगता पेंशन एक ऐसे व्यक्ति को दी जा सकती है जो किसी ऐसी विकलांगता के कारण सेवा से बाहर हो गया है जो गैर-युद्ध हताहतों में सैन्य सेवा के कारण

हुई है या बढ़ गई है और 20 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता पर मूल्यांकन किया गया।

यह प्रश्न कि क्या विकलांगता सैन्य सेवा के कारण है या बढ़ गई है, परिशिष्ट II में नियम के तहत निर्धारित किया जाएगा।

नियम 3, 4, 5, 8, 9 , , 14, 15 और 16।

3. नियम उन मामलों पर लागू नहीं होते हैं जहां विकलांगता या मृत्यु, जिस पर हताहत पेंशन पुरस्कार का दावा आधारित है, हुई है-

(i) 3 सितंबर, 1939 से 31 मार्च, 1948 की अवधि के दौरान, जिसे अनुबंध I में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार निपटाया जाएगा।

(ii) रक्षा मंत्रालय (पेंशन शाखा पत्र संख्या 138999/1/पीसी, दिनांक 18 अप्रैल, 1950) द्वारा प्रख्यापित पात्रता नियमों के अनुसार निपटाया जाएगा जो समय-समय पर संशोधित;

(iii) 1948 के बाद आपातकाल की अवधि के दौरान, जिसे अनुबंध II के अनुसार निपटाया जाएगा।

.....

4. विकलांगता पेंशन प्रदान करने के लिए सेवा से अमान्य होना आवश्यक शर्त है। एक व्यक्ति, जो रिहाई विनियमों

के तहत अपनी रिहाई के समय, उस श्रेणी से कम चिकित्सा श्रेणी में है जिसमें उसे भर्ती किया गया था, उसे सेवा से अमान्य माना जाएगा। अन्य सेवाओं पर जेसीओ/ओआर और समकक्ष जिन्हें 'ए' के अलावा किसी अन्य चिकित्सा श्रेणी में स्थायी रूप से रखा गया है और उन्हें छुट्टी दे दी गई है क्योंकि उनकी निम्न चिकित्सा श्रेणी के लिए उपयुक्त कोई वैकल्पिक रोजगार प्रदान नहीं किया जा सकता है, साथ ही वे जिन्हें वैकल्पिक रोजगार में रखा गया है लेकिन यदि उनकी नियुक्ति पूरी होने से पहले सेवामुक्त कर दिया जाता है तो उन्हें सेवा से अमान्य माना जाएगा।

.....

5. हताहत पेंशन पुरस्कारों की पात्रता और विकलांगता के मूल्यांकन के प्रश्न का दृष्टिकोण निम्नलिखित अनुमानों पर आधारित होगा।—

सेवा से पहले और सेवा के दौरान

(a) यह माना जाता है कि सेवा में प्रवेश करते समय एक सदस्य की शारीरिक और मानसिक स्थिति अच्छी थी, प्रवेश के समय दर्ज की गई या दर्ज की गई शारीरिक अक्षमताओं को छोड़कर।

(b) बाद में चिकित्सा आधार पर सेवा से बर्खास्त किए जाने की स्थिति में, सेवा के कारण उनके स्वास्थ्य में कोई गिरावट आई हो।

8. मृत्यु/विकलांगता और सैन्य सेवा के बीच आकस्मिक संबंध उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाता है, तो जिम्मेदारी/उत्पीड़न को स्वीकार किया जाएगा।

. . . . . .

9. दावेदार को हकदारियों की शर्तों को साबित करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा। उसे किसी भी उचित संदेह का लाभ मिलेगा। यह लाभ फील्ड/फ्लोट सेवा मामलों में दावेदारों को अधिक उदारतापूर्वक से दिया जाएगा।

. . . . .

14. रोगों के संबंध में निम्नलिखित नियम का पालन करना होगा: -

(a) ऐसे मामले जिनमें यह स्थापित हो गया है कि सैन्य सेवा की शर्तों ने बीमारी की शुरुआत का निर्धारण या योगदान नहीं किया है, लेकिन बीमारी के बाद के क्रम को प्रभावित किया है, उस वृद्धि के आधार पर गिरावट या स्वीकृति दी जाएगी।

(b) जिस बीमारी के कारण किसी व्यक्ति को निकाल दिया गया या उसकी मृत्यु हो गई, उसे आम तौर पर सेवा के दौरान उत्पन्न हुआ माना जाएगा, यदि सैन्य सेवा के लिए व्यक्ति की स्वीकृति के समय इसका कोई नोट नहीं बनाया गया था। हालाँकि, यदि चिकित्सीय राय, बताए जाने वाले कारणों से, यह मानती है कि सेवा के लिए स्वीकृति से पहले चिकित्सीय परीक्षण में रोग का पता नहीं लगाया जा सका है, तो रोग को सेवा के दौरान उत्पन्न नहीं माना जाएगा।

(c) यदि किसी बीमारी को सेवा में उत्पन्न होने के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो यह भी स्थापित किया जाना चाहिए कि सैन्य सेवा की स्तिथियाँ बीमारी की शुरुआत में योगदान करती हैं और ये स्थितियाँ सैन्य सेवा में कर्तव्य की परिस्थितियों के कारण थीं।

.....

15. कुछ बीमारियों की शुरुआत और प्रगति सेवा शर्तों, आहार संबंधी बाध्यताओं, शोर के संपर्क, शारीरिक और मानसिक तनाव और तनाव से संबंधित पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। सेवा में उत्पन्न होने वाले संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी, जिम्मेदारी का हकदार

होगी। फिर भी, ऐसी स्थितियों के सेवा-पूर्व इतिहास की संभावना पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो यदि अनुमोदित हो, तो जिम्मेदारी के दावे को खारिज कर सकता है, लेकिन वृद्धि के संबंध में विचार की आवश्यकता होगी। सामान्य बीमारी के नैदानिक विच्छेदन के लिए समय-समय पर संशोधित चिकित्सा अधिकारियों (सैन्य पेंशन) 1980 की मार्गदर्शिका का संदर्भ दिया जाएगा । सेवा में पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित रोगों का वर्गीकरण इन नियमों के अनुबंध III में दिया गया है।

.....

16. यौन रोगों के अलावा अन्य ऐसी बीमारियों से होने वाली मृत्यु या विकलांगता को सैन्य सेवा के लिए जिम्मेदार माना जाएगा जहां नामांकन से पहले या छुट्टी के दौरान बीमारी हो सकती है, वहां किसी विशेष मामले में ऊष्मायन अवधि निर्धारित करने का प्रश्न उठेगा और इस बिंदु पर एक राय व्यक्त की जानी चाहिए।"

(9) पात्रता नियमों से जुड़े अनुबंध III का संदर्भ देना भी प्रासंगिक है जो बीमारियों का वर्गीकरण देता है। उपशीर्षक 'ए' के अंतर्गत जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित रोग दिए गए हैं और उपशीर्षक 'बी' के अंतर्गत तनाव और तनाव से प्रभावित रोग दिए गए हैं। क्रम संख्या 1 पर साइकोसिस और साइकोन्यूरोसिस रोग दिया गया है जो

स्पष्ट रूप से सेवा से संबंधित रोग है। उपरोक्त प्रविष्टियाँ इस प्रकार हैं : -

अनुलग्नक 111 से परिशिष्ट 11

रोगों का वर्गीकरण

(अ) जलवायु परिस्थितियों से प्रभावित रोगः

1. फेफड़े का क्षयरोग
2. फेफड़ों का फुलाव
3. फुफ्फुस बहाव के साथ फुफ्फुसीय क्षय रोग।
4. क्षय रोग-गैर-फुफ्फुसीय।
5. ब्रोंकाइटिस.
6. फुफ्फुस, एम्पाइमा, फेफड़े का फोड़ा और ब्रोन्किइक्टेसिस।
7. लोबर निमोनिया।
8. नेफ्रैटिस (तीव्र और जीर्ण)
9. मध्यकर्णशोथ।
10. गठिया (तीव्र और जीर्ण)
11. वात रोग।

12. मायालगिया।

13. लम्बागो.

14. अत्यधिक ठंडी जलवायु के स्थानीय प्रभाव-अर्थात, शीत दंश, टेन्च फुट और चिलब्लेन्स।

15. गैर-जलवायु के प्रभाव-अर्थात, हीट स्ट्रोक और हीट थकावट।

(बी) तनाव से प्रभावित बीमारियाँ

16. मनोविकृति और मनोविश्लेषण.

xx xx xx xx xx xx

यह और भी स्पष्ट है कि उप-शीर्षक 'जे' बीमारियों की उन श्रेणियों को संदर्भित करता है जो आम तौर पर सेवा से प्रभावित नहीं होती हैं। ये बीमारियाँ विभिन्न प्रकार के कैंसर हैं और इन्हें नीचे पढ़ा जा सकता है।

ज. बीमारियाँ सामान्यतः सेवा से प्रभावित नहीं होतीं

1. घातक रोग (कैंसर और कार्सिनोमा)

2. सारकोमा (वृद्धि के विकास स्थल पर सेवा के कारण चोट के इतिहास के साथ हड्डी के सारकोमा के मामलों को छोड़कर)।

3. उपकला.

4. कृंतक अल्सर.

5. लिम्फोसारकोमा।

6. लिम्फैडेनोमा, वायरल एटिकोलॉजी को छोड़कर.

7. ल्यूकेमिया (विकिरण प्रभाव को छोड़कर)।

8. घातक रक्ताल्पता (एडिसन रोग)।

9. ओस्टाइटिस डिफॉर्मन्स (पगेट रोग)।

10. गठिया.

11. एक्रोमेगाली।

12. यकृत का सिरोसिस-यदि अल्कोहलयुक्त हो ,

13. अपवर्तन की त्रुटियाँ.

14. हाइपरमेट्रोपिया।

15. निकट दृष्टि दोष।

16. अस्थिभंग ।

17. प्रीश्योपिया ।

18. ग्लूकोमा - तीव्र या दीर्घकालिक, जब तक कि सेवा के कारण चोट लगने या सेवा के कारण आंखों की बीमारियों का इतिहास न हो।

(10) पेंशन विनियमों के अनुच्छेद 173 का अवलोकन दो शर्तों की परिकल्पना करता है जिन्हें विकलांगता पेंशन अर्जित करने के लिए पूरा किया जाना आवश्यक है; : (ए) विकलांगता पेंशन उस व्यक्ति को दी जा सकती है जो किसी ऐसी बीमारी के कारण सेवा से

बाहर हो गया है जो किसी गैर युद्ध हताहत में 'सैन्य सेवा के कारण या उसके कारण बढ़ी हुई' है। (बी) विकलांगता का आकलन 20% या उससे अधिक होना आवश्यक है। यह प्रश्न कि क्या विकलांगता सैन्य सेवा के कारण होती है या बढ़ जाती है, परिशिष्ट II में विस्तृत नियमों के तहत निर्धारित किया जाना आवश्यक है। पात्रता नियमों के नियम 3, 4, 5, 8, 9, 14, 15 और 16 को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि याचिकाकर्ता को सेवा से बाहर इसीलिए कर दिया गया है कि दर्ज की गई श्रेणी से उसकी निचली चिकित्सा श्रेणी है। पात्रता नियमों के नियम 5 के अनुसार यह माना जाना चाहिए कि जब याचिकाकर्ता ने सेवा में प्रवेश किया तो वह शारीरिक और चिकित्सीय स्थिति में था, भर्ती के समय उल्लेखित या दर्ज की गई शारीरिक विकलांगता को छोड़कर। बाद में चिकित्सा आधार पर सेवा से बर्खास्त किए जाने की स्थिति में, उसके स्वास्थ्य में किसी भी तरह की गिरावट को सेवा के कारण हुआ माना जाएगा। पात्रता नियमों के नियम 9 से यह स्पष्ट है कि पेंशन का दावा करने वाले याचिकाकर्ता का यह कर्तव्य नहीं है कि वह इस शर्त को साबित करे कि उसकी विकलांगता सैन्य सेवा के कारण हुई है या बढ़ी है और संदेह का लाभ होना चाहिए। उसे दिया गया नियम 14 दोहराता है कि जिस बीमारी के कारण दावेदार को छुट्टी मिल गई थी, उसे आम तौर पर सेवा में प्रवेश के समय किसी भी नोट के अभाव में सेवा से उत्पन्न माना जाएगा। नियम 15 द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि कुछ बीमारियों की शुरुआत और प्रगति सेवा शर्तों, आहार संबंधी बाध्यताओं, शोर के संपर्क , शारीरिक और मानसिक तनाव

और तनाव से संबंधित पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। उस संबंध में नियम ने पात्रता नियमों के अनुलग्नक III (परिशिष्ट II) का संदर्भ देने के लिए मार्गदर्शन किया है जो बीमारियों को वर्गीकृत करता है। उप-शीर्षक 'बी' के तहत तनाव और तनाव से प्रभावित बीमारियों को सूचीबद्ध किया गया है और आइटम नंबर 1 पर साइकोसिस और साइकोन्यूरोसिस है।

(11) याचिकाकर्ता को सामान्यीकृत दौरे से पीड़ित पाया गया है। जब याचिकाकर्ता 1981 में सैन्य सेवा में शामिल हुआ तो रिक्रूटमेंट मेडिकल बोर्ड द्वारा ऐसी कोई बीमारी नहीं पाई गई थी। कोर्ट के बार-बार पूछने पर रिक्रूटमेंट मेडिकल बोर्ड द्वारा 1981 में ऐसी प्रविष्टि करने का कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाया गया है। कोई सूची प्रस्तुत नहीं की गई है दिखाएँ कि रोग 'सामान्यीकृत दौरा 345' उप-शीर्ष 'जे' द्वारा कवर की गई किसी भी प्रविष्टि से संबंधित है जो बीमारियों का वर्गीकरण देता है और इसमें वे बीमारियाँ शामिल हैं जो सामान्य रूप से सेवा से प्रभावित नहीं होती हैं। शब्दकोष के अनुसार अभिव्यक्ति का अर्थ 'सामान्यीकृत दौरा' अचानक हमला है। एपोप्लेक्सी एक सिंड्रोम है जो महसूस करने और हिलने-डुलने में असमर्थता प्रकट करता है और यह मस्तिष्क धमनी में रुकावट या टूटने के कारण हो सकता है। यह स्वीकार करना आसान नहीं है कि सैन्य सेवा के तनाव और तनाव के दौरान ऐसी बीमारी नहीं हो सकती। इसके अलावा, इस दावे के जवाब में एक बहुत ही दिलचस्प स्पष्टीकरण दिया गया है कि याचिकाकर्ता जब सेवा में आया था तो उसे कोई बीमारी नहीं थी और भर्ती मेडिकल बोर्ड द्वारा उसकी कठोर चिकित्सा जांच की गई थी।

उत्तर के पैराग्राफ 2 और 3 में दावा किया गया है कि इस प्रकार की संवैधानिक बीमारी का उस समय पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि भर्ती कार्यालय में कोई विस्तृत चिकित्सा उपकरण उपलब्ध नहीं था। सबसे पहले, इस तरह के स्पष्टीकरण को कानूनी बचाव नहीं माना जा सकता है। पेंशन के दावे के लिए सभी मामलों में जहां रिकॉर्ड मौन है, ऐसे बचाव का दावा किया जा सकता है और वैध दावे को हराया जा सकता है। किसी भी मामले में, पात्रता नियमों के नियम 9 के आधार पर, यह साबित करने का दायित्व उत्तरदाताओं पर है कि सामान्यीकृत दौरा एक संवैधानिक बीमारी है, जिसे साबित करने में वे बुरी तरह विफल रहे हैं। कुछ इसी तरह की परिस्थितियों में यह न्यायालय एक्स सेप रणजीत सिंह (युप्रा) के मामले में है जिसमे उस को सिज़ोफ्रेनिया और सामान्यीकृत दौरे के कारण सेवा से बाहर कर दिया गया था, उन्हें विकलांगता पेंशन का लाभ दिया गया है। इसी प्रकार, नरेश चंद (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय ने विकलांगता पेंशन का लाभ दिया, जहां विकलांगता सामान्यीकृत दौरा 345 थी। इसलिए, तत्काल याचिका सफल होने के लिए उत्तरदायी है।

(12) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील का यह तर्क कि भर्ती मेडिकल बोर्ड की राय का सम्मान किया जाना चाहिए, खारिज किया जा सकता है क्योंकि बीमारी की प्रकृति के बारे में कोई संदेह व्यक्त नहीं किया गया है जिसके कारण याचिकाकर्ता की सेवा अमान्य हो गई है। लेकिन साथ ही, रोग की प्रकृति को सेवा के कारण गैर-जिम्मेदार या सेवा के कारण बढ़े हुए के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उप-शीर्ष 'जे' के तहत रोगों की सूची में ऐसा

कोई अंतर वर्गीकृत नहीं किया गया है। उपरोक्त सूची में वे सभी बीमारियाँ हैं जो कैंसर प्रकृति की हैं या आँखों से संबंधित हैं। इसी प्रकार याची के रिकार्ड में भी ऐसी कोई प्रविष्टि नहीं मिली है जो यह प्रमाणित करती हो कि 1981 में सेना में भर्ती होने के समय याची किसी संवैधानिक बीमारी से पीड़ित था। एक्सस्पॉय बलबीर सिंह के मामले (सुप्रा) में डिवीजन बेंच की टिप्पणियाँ वर्तमान मामले के तथ्यों पर आकर्षित नहीं होंगी क्योंकि विकलांगता का आकलन केवल 11.25% था। यह पेंशन विनियमों के पैराग्राफ 173 की मूल आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। जिसके लिए 20% की सीमा तक विकलांगता की आवश्यकता थी। हालाँकि, इस सवाल पर कि भर्ती के समय जो बीमारियाँ ध्यान में नहीं आईं, उन्हें वंशानुगत होने के कारण संवैधानिक प्रकृति का माना जा सकता है या नहीं, उस मामले में न तो बहस हुई और न ही इसका उत्तर दिया गया क्योंकि 20% की सीमा तक विकलांगता की बुनियादी आवश्यकता पूरी नहीं हुई थी। इसलिए, उत्तरदाताओं की ओर से उठाया गया तर्क उत्तरदायी है और इसे खारिज किया जाता है।

(13) ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, यह याचिका सफल होती है और इसकी अनुमति दी जाती है। उत्तरदाताओं को आज से दो महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता की विकलांगता पेंशन की गणना करने और अगले दो महीनों के भीतर 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ बकाया जारी करने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता अपनी लागत का भी हकदार होगा जिसका मूल्यांकन रुपये 10,000 किया गया है।

आरएनआर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रीतिका शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल, हरियाणा